

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत-झोपड़ा

प्रकरण संख्या- 272/25

दिनांक- 18/10/25

उपनाम

श्री शमशेर पुत्र  
शमपाल जाति भौना

वनाम राजकार जसिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



पार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरतावज, न्यायालय  
संख्या झोपड़ा भू अ. नि. शमबतगढ़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की  
रिपोर्ट/अनुशाखा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
ग्राम झोपड़ा नो डो झोपड़ा की वर्तमान स्थायी  
जमाव-दी के खाता संख्या 288 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को  
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये  
जाते हैं।

| क्र. सं. | अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि) | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)                   | शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। |
|----------|--|--|---|
| 1-       | <u>कि</u><br><u>जाम</u>  | <u>शमशेर पुत्र</u><br><u>शमपाल जाति</u><br><u>भौना</u> | <u>शमशेर पुत्र</u><br><u>शमपाल</u><br><u>जाति भौना</u>  |

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री शमशेर पुत्र शमपाल जाति भौना।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)

